



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/00256/CR-1

दिनांक : 21.03.2018

सेवा में,

श्री अजहर अली

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 09.03.2018, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से CPIO (RTI Cell) से दिनांक 16.03.2018 को संख्या CICOM/R/2018/00256 के तहत आनलाइन प्राप्त हुआ है। जिसका उत्तर निम्नानुसार है:-

आपने एक पत्र संख्या 30.10.2017 का जिक्र किया है जो कि सलग्न दस्तावेजों से CPIO, राज्य सभा के जवाब से सम्बंधित प्रतीक होता है जिस पर अधोहस्ताक्षरी CPIO कोई comment नहीं कर सकता।

द्वितीय अपील से सम्बंधित जानकारी आप इस आयोग की वेबसाइट (website www.cic.gov.in) पर 'FAQ' का अवलोकन कर के प्राप्त कर सकते हैं। आपके केस के संदर्भ में जो कि सुविधा ज्ञापन (डायरी संख्या 184326 दिनांक 22.12.2017 एवं डायरी संख्या 103938 दिनांक 18.01.2018) के तहत वापिस किया गया था, यह कहना है कि जब तक की रूल - 8, आर टी आई रूल 2012 में दर्शायी गई जरूरतें पूरी नहीं होती तब तक वह पंजीकृत नहीं किया जा सकता और जब केस पंजीकृत नहीं होगा तब उस पर माननीय सूचना आयुक्त द्वारा सुनवाई नहीं होगी, और अगर सुनवाई नहीं हो पायेगी।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- **श्री राकेश कुमार सिंह , अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी , केन्द्रीय सूचना आयोग , बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैपस, नई दिल्ली 110067 ।**

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिव पंजियक -उप /
केन्द्रीय रजिस्ट्री - 1

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग।

(कृष्ण अवतार तलवार)
उप -सचिवपंजियक -उप /